

प्रारूप-19

परियोजना का नाम :-  
वर्षों

नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे० वन भूमि लीज संख्या-56 के 30

के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक .....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग	
1.	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	सिविल सोयम	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	वन पंचायत	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	संरक्षित वन	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :-वन भूमि	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	नाप भूमि	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग :-	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

राजि अधिकारी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

ह०/-

राजस्व विभाग

ह०/-

जिलाधिकारी



प्रारूप-20

परियोजना का नाम :-नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे0 वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों

के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि/सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि/संरक्षित वन भूमि/नाप भूमि

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	—	20-30	0	0	0
2	—	30-40	0	0	0
3	—	40-50	0	0	0
4	—	50-60	0	0	0
5	—	60-70	0	0	0
6	—	70-80	0	0	0
7	—	80-90	0	0	0
8	—	कुल योग	0	0	0

ह0/-

राजि अधिकारी



ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट- आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि के लिये उपरोक्त मूल्यांकन अलग अलग करना होगा ।

प्रारूप-20.1

परियोजना का नाम - नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे० वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों

के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार									योग
		20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सिविल सोयम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	संरक्षित वन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वन पंचायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वन भूमि का योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ह०/-

राजि अधिकारी



ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप-21

परियोजना का नाम – नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे० वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों

के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	0	0	—
2.	सिविल सोयम	0	0	—
3.	वन पंचायत	0	0	—
4.	संरक्षित वन	0	0	—
	योग :- वन भूमि	0	0	—
5.	नाप भूमि	0	0	—
	कुल योग :-	0	0	—

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल शून्य वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल शून्य वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।



प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप-22

परियोजना का नाम :- नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे० वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों

के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ..... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान

परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्ट मेन्ट / खसर I संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास								
					20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	सिविल सोयम		बाँज		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	वन पंचायत		बाँज		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	संरक्षित वन		बाँज		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :-वन भूमि				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	नाप भूमि		बाँज		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग :-				0	0	0	0	0	0	0	0	0

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।



ह०/-वन संरक्षक,

प्रारूप-23

परियोजना का नाम:- नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे0 वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी